

58

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 49/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2011-12 दिनांक 05/06/2012

विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण 2000 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत विनियमित तथा धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत निर्माण को अनुमति दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र विनियमित एवं प्रस्तावित भाग पर निर्माण अनुमत्त किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फोन के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अरार पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के अधिकार या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रावण न रखेगी।




श्रीमती नेहा केशरवानी पत्नी श्री अतीश केशरवानी द्वारा प्लॉट आफ भवन सं० 446ए एवं 343/441 गीम सराय परगना व तहसील-सदर जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत वाणिज्य व्यवसायिक भवन मानचित्र के विनियमितीकरण एवं निर्माण की अनुमति विनाशिक प्रतीचि के अर्जन प्रदान किया जात है :-

1. 2000 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के परमाणु ही अनुमति/अधिमोक्ष लिया जावेगा, भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम 2008 में उपबिधे संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनुमति (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक **Mandatory Clearances/N.O.C** की शर्तें पूर्ण करने के परमाणु, जिरासि किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व संबंधी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी दिवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 01 नृक्ष लगाने होंगे तथा दृष्टी को रक्षा करा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल पर भारत आन्तरिक निकास कार्य स्वतः पूर्ण कर सकत आ सर्वोपलब्ध Existing Services से करना होगा।
7. स्थल का अधिमोक्ष/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही अनुमान्य होगा।
8. सार्वजनिक स्वीकृत मानचित्र में पीले रंग से दर्शित टूट-बी डिगलिश भाग को मानचित्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर स्वतः ध्वस्त कराकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। इस हेतु दिये गये शर्त पत्र दिनांक 20.12.2011 को संदर्भ अनुपालन करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा सतत सूचना दी गयी है तो 2000 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि शूखण्डों का उप-विभाजन अथवा मार्क एवं रोड इत्यादि का अतिरिक्त विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इतिहास द्वारा निरन्तरानुसार 2000 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
11. मकान निर्माण से यदि नतीजों के सहज ही पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के लगवाड़े पिछवाड़े अथवा सराके आकर के कारण उत्पन्न हुई हो) को नतीज पट्टों से गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसी अपने खर्च से मरम्मत कराकर पुनर्वत अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होगा चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को नकान की नीज तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना नकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आवादी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता भया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

(संज्ञा सिंह)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

जवन्शा की स्वीकृति प्राप्त किछ
6-6-2012



सब से पहले नीचे की ओर से मुहराणा काटना
 200mm के कर से इस नीचे का बनाना
 खाना के लिए बनाना

THIS IS TO CERTIFY THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS 2008 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

DISMANTLE WORK SHOWN THIS
 COMPOUNDING WORK SHOWN THIS
 PROPOSED WORK SHOWN THIS

TOTAL AREA = 1204 SQ. MT.
 AREA CALCULATION PLAN

	AREA	SCHEDULE	OF DOOR WINDOW & VENT.
TOTAL AREA OF PLOT	128.04 SQ. MT.		
LAND LEFT FOR R/W	54.78 SQ. MT.	DOOR D	1000x2400
NET PLOT AREA	73.26 SQ. MT.	2 DOOR D1	3000x2400
COMPOUNDING AREA LOWER G.	44.01 SQ. MT.	3 DOOR D2	7500x2400
PROPOSED AREA ON G.F.	36.65	4 WINDOW W	1500x2000
OPEN AREA ON G.F.	29.25	5 WINDOW W	3000x2000
MOUNTY AREA	10.88	6 VENT. V	750x600
GROUND COVERAGE	50+10=60%		
F. Z. R.	1:10		

COMPOUNDING AND PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF HOUSE NO. - 445-A - AND PART OF HOUSE NO. - 943/441 MCHALLA NEEM SABAI PARAGANA AND TENSI SARAI ALLAHABAD OWNER - SMT - NEHA KESHARWANI W/O - SRI - ATISH KESHARWANI SCALE - 1:100

Neeta Kesharwani
 Architect
 Green City Architects
 C-106, Ganga
 W-50, Ganga
 Allahabad (202001-202001)

